समुचित मूल्य के गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जायेगा और किसी मैजिस्ट्रेट/मुंसिफ/तहसीलदार/ मुंसिफ मैजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(To be prepared on a non-judicial stamp paper of appropriate value and attested by a Magistrate/Munsif/Tehsildar/Munsif Magistrate/Notary)

(क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, एक जमानती सहित)

## (INDEMNITY BOND WITH ONE SURETY)

क्षतिपूर्ति यह विलेख–पत्र (डीड) तारीख	मास	वर्ष २०० की
ग्रामडाकघरजिल	गप्रदेश के निवा	सी
(प्रतिज्ञाकर्त्ता का नाम) पुत्र/पत्नी/पुत्री	द्वारा तैयार	किया गया. इसके बाद से
जिसे प्रतिज्ञाकर्त्ता पुकारा जायेगा। जिस शब्द में अगर संद	र्भ अथवा कानून द्वारा अनेपक्षित न हो, की	थेत (प्रतिज्ञाकर्त्ता का नाम)
	उसका/उसकी/उत्तर	राधिकारी/उत्तराधिकारणी
निष्पादक, प्रबन्धक का भाव निहित है और समनुदेशित	करता है और श्री/श्रीमती (जमानती)	
पुत्र/पुत्रीगामगाम	डाकघरजिल	ला
प्रदेश के निवासी (इसके ब	ाद जिसे जमानती पुकारा जायेगा), जिस श	गब्द में अगर संदर्भ अथवा
कानून द्वारा अनेपक्षित नहीं है, कथित(जमा	नती का नाम) उसके/उसकी उत्तराधिकारी/	'उत्तराधिकारणी निष्पादक,
प्रबन्धक का भावार्थ निहित है और सेना सामूहिक बीमा स	मिति के पक्ष में समुदेशित करता है	
जो समिति, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधी	ोन पंजीकृत है। और जिसका कार्यालय सेन	ना मुख्यालय नई दिल्ली में
है, और अगर संदर्भ अथवा कानून द्वारा अनपेक्षित नहीं	है तो समिति शब्द में कथित सेना सामू	हिक बीमा समिति, उसके
उत्तराधिकारी का भावार्थ निहित है और समानुदेशित करत	ता है।	
THE DEED OF INDEMNITY is made this.	day of	200
byson/ wife/ dau	ghter of	resident of
(Name of Promisor)		
villageP.O	DistrictSt	ate
(hereinafter) called, "the Promisor" which term s		
include the said	his/her, heirs, executors, admir	nistrators and assigns
(Name of Promisor)	0 1 \ /-l	
Shri/Smt(Name of resident of Vill		
(hereinafter Called "The Surety") which term sh		
included the said		
(Name of Surety)	,	-,
assigns in favour of the Army Group Insura	ance Society a Society registere	d under the society
Registration Act 1860 having its Office at Army H	leadquaters, New Delhi (hereinafter	r called "The Soceity")
which term shall unless excluded by the conte	ext or by law mean and included t	the said Army Group
Insurance Society, its successors and assigns.		
चूंकि मृतक (यहां मृतक का न0 रैंक और नाम वि	त्रेखें)	
रेजि/कोर) की मृत्यु		-
पत्नी या बच्चे (सौतेले और दत्तक बच्चों सहित) जीवित	नहीं और चूंकि उपयुक्त मृतक के परिवा	र के निम्नलिखित सदस्य
जीवित हैं, जिसके नाम इस प्रकार:-		
WHEREAS the late		
(here give the No Rank and Name of the decease		
Corps. died on(including step and adopted children).	without leaving a	ny whe(s) of children
3		



AND WHEREAS the said deceased is survived by the following other members of his family, namely.

(यहां ब्यौरा दें)	नाम	उम्र	अगर पहले ही मृत्यु हो चुकी
(here give details)	Name	Age	हों तो उसकी तारीख लिखें If predeceased, state date of death.
(ক) पिता (a) Father (ख) माता			
(b) Mother			
<ul><li>(ग) भाई</li><li>(c) Brother</li><li>(घ) बहिनें</li></ul>			
(d) Sisters			

और चूंकि प्रतिज्ञाकर्ता और मृतक के परिवार के उपयुक्त अन्य जीवित सदस्यों ने सिमित को निवेदन किया है और आश्वासन दिलाया है और वे सेना सामूहिक बीमा योजना के अधीन मृतक के बीमा लाभ पाने के हकदार है और मृतक के परिवार का कोई भी अन्य सदस्य इनकी तरजीह में अथवा इनके साथ—साथ इन लाभों पर दावा करने का हकदार नहीं है और उपयुक्त लाभों की राशि का भुगतान उन्हें भरने के लिए सिमित को निवेदन किया है।

AND WHEREAS the Promisor and the aforesaid other surviving members of the deceased's family have represented to and assured the Society and they are entitled to receive Certain amount as may be determined by AGIF towards the Insurance benefits of the deceased under the ArmyGroup Insurance Scheme and that there is no other member of the deceased family entitled to claim the same in preference to or simultaneously with them and have requested the Soceity to pay the amount of the aforesaid benefits to them.

और जैसा कि समिति, प्रतिज्ञाकर्त्ता तथा मृतक के परिवार के उपर्युक्त अन्य जीवित सदस्यों के उक्त निवेदन को मानने के लिए सहमत हो गई है, बशर्तें कि प्रतिज्ञाकर्त्ता 'समिति के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति विलेख–पत्र (डीड)' एक जमानत सहित, निष्पादित करें।

AND WHEREAS the Society has agreed to accede to the said request of the Promisor and other aforesaid surviving members of the deceased's family promisor the Promisor executes a proper Deed of Indemnity with the Surety in favour of the society.

अतः अब क्षतिपूर्ति का यह विलेख—पत्र इस बात का साक्षी है कि प्रस्तुत अभिवेदनों और ऊपर दिए गए आश्वासनों और सेना सामूहिक बीमा योजना के अधीन मृतक के बीमा/बचत लाभों की राशि प्रतिज्ञाकर्ता और मृतक के परिवार अन्य जीवित सदस्यों को अदा किये जाने की सहमति पर विचार करते हुए, प्रतिज्ञाकर्त्ता और जमानती विधिवत् यह सहमति प्रगट करतें है। और वचन देते है कि अगर समिति को प्रस्तुत अभिवेदनों और दिए गए आश्वासनों में कोई विवरण असत्य पाया गया और प्रतिज्ञाकर्त्ता और मृतक के परिवार के उपर्युक्त अन्य जीवित सदस्यों की तरजीह में अथवा उनके मृतक के हितलाभों की उक्त राशि हकदार किसी अन्य दावेदार को पाया गया तो वे प्राप्त की गई सकल राशि ब्याज सहित समिति को वापस कर देगें और इस संबंध में समिति द्वारा उठाई गई किसी भी अथवा प्रत्येक हानि अथवा क्षति का हरजाना और नफानुकसान प्रतिज्ञाकर्त्ता और जमानती पूरा कर देगें। इस दस्तावेज के दायित्वाधीन प्रतिज्ञाकर्त्ता और जमानती की जिम्मेदारी साझा और अलग—अलग दोनों तरह से होगी।

NOW THEREFORE THIS DEED OF INDEMNITY WITNESSES that in consideration of the society's acceptance of the representations made and assurance given to it as above and the Soceity's agreeing to pay the amount of the insurance/Saving Benefits of the deceased under the deceased's family the Promisor and the Surety hereby agree and undertake refund with interest to the society the entire amount received by the Promisor in case the representations made and assurance given to Society are found to be false in any particular and there is any other claimant entitled to the said amount of the benefits of the deceased in preference to or simultaneously with the Promisor and the other aforesaid surviving members of the deceased's family and the Promisor and the Surety shall keep the Society indemnified and harmless against any and every loss or/ and damage suffered by the Society shall keep the Society indemnified and harmless against any and the Surety under this deed is joint and several.



यह स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि अगर अदायगी की गई तो मै, मृतक की सम्पति में से किसी दूसरे वारिस को कानून के अनुसार हिस्सा छोड़ने अथवा अनुपातिक हिस्सा देने के लिए देनदार हूंगी।

That the payment if made will be subject to the clear under standing that I will be liable to share and/ or part with proporationate share of any other heir to the said property of the deceased according to law applicable in this behalf.

इसकी साक्षी में कथित		(प्रतिज्ञाकर्त्ता का नाम)
प्रतिज्ञाकर्त्ता और	(जमानती का न	नाम) जमानती ने ऊपर लिखें
अनुसार विलेख–पत्र (डीड) पर तारीखमास	वर्ष	को हस्ताक्षर
किये।		
In Witness Whereof the said		
	(Name of Promisor)	
the Promisor and the surety		the surety
	(Name of Surety)	
have signed the deed, the daymonth written.	year	above
		(प्रतिज्ञाकर्त्ता के हस्ताक्षर)
		(Signature of Promisor)
गवाह/ Witness		(जमानती के हस्ताक्ष) (Signature ofSurety)
1. हस्ताक्षर		
Signature	सत्यापित/ATTESTED	
नाम		
Name(In Block Letters)		
डाक का पूरा पता	हस्ताक्षर	
Full Postal Address	Signature	
	प्रथम श्रेणी मेजिस्ट्रेट पद	की मोहर
	Magistrate 1st Class	Designation Stamp
2. हस्ताक्षर		
Signature		न्यायालय
नाम		की गोल मोहर
Name		( Round )
(In Block Letters)		Court Seal
डाक का पूरा पता		Jeai /
Full Postal Address		

## **VERIFICATION AND ATTESTATION**

Certified that the above statement was declared on \*Oath/\*Solemn affirmation before me

	on this	day of	200
by Shri/Smt/Kumari		wife/son/daughter of	
who is identified by		and witnessed by (a)	
(b)	(as per de	etail below)	
IDENTIFIED BY			
Signature			
Name in block letters			
Full Postal Address			
WITNESSED BY:			
WITHLOOLD DT.			
Witness No. 1			
Signature			
Name in block letters			
Full Postal Address			
Witness No. 2			
Witness No. 2			
Signature			
ŭ			
Name in block letters			
Full Postal Address			
		(Signature of Munsif/Teh	nsildar)
न्यायालय \		(Attesting Officers	)
वि गोल मोहर			
Round Court			

Seal

 $<sup>^{\</sup>star}$ DELETE whichever is not applicable.